भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4074
उत्तर देने की तारीख 19.12.2024

पीएमईजीपी में विकास

4074. श्री ज्योतिर्मय सिंह महतोः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) विशेष रूप से आवेदकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और उक्त योजना के लाभों तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के संबंध में सुधार लाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ग): सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) में सुधार लाने और आवेदकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा स्कीम के अंतर्गत लाभ तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:

i. विनिर्माण क्षेत्र के लिए अधिकतम परियोजना लागत को 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये तथा सेवा क्षेत्र के लिए इसे 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है।
ii. अच्छा प्रदर्शन करने वाली मौजूदा पीएमईजीपी/मुद्रा इकाइयों के उन्नयन और विस्तार के लिए 15% (पूर्वोत्तर और पहाड़ी तथा सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए 20%) सब्सिडी के साथ 1 करोड़ रुपये तक की दूसरी वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
iii. पीएमईजीपी के अंतर्गत दूसरे ऋण के लिए आवेदन करने वाली मौजूदा पीएमईजीपी/मुद्रा इकाइयों की लाभप्रदता पर विचार करते हुए कोविड वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2020-21 और वित्तीय वर्ष 2021-22 को छूट दी गई है।
iv. उच्चतर सब्सिडी के लिए पात्र विशेष श्रेणी के अंतर्गत आकांक्षी जिलों और ट्रांसजेंडरों के आवेदकों को शामिल करना।
v. ऋणों की उपयुक्त संस्वीकृति और मार्जिन मनी के संवितरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख बैंकों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं।
vi. पीएमईजीपी के अंतर्गत लाभार्थियों को पथ-प्रदर्शन सहायता प्रदान करने के लिए केवीआईसी द्वारा तकनीकी और सेवानिवृत्त बैंक अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।
vii. आवेदन करने से लेकर लाभार्थी के ऋण खाते में मार्जिन मनी सब्सिडी के समायोजन तक की पूरी प्रक्रिया पर नज़र रखने के लिए एक समर्पित पोर्टल।

viii. उन भावी लाभार्थियों के लिए ऑफलाइन आवेदन की अनुमति है जो ऑनलाइन माध्यम से परिचित नहीं हैं।

ix. जनवरी 2024 से भावी लाभार्थियों से 11 क्षेत्रीय भाषाओं में पीएमईजीपी आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने पीएमईजीपी के अंतर्गत स्वीकृत ऋणों सहित एमएसएमई क्षेत्र को ऋण प्रवाह में सुधार के लिए बैंकों को अनुदेश जारी किए हैं, जिनमें शामिल हैं:

i. प्राथमिकता क्षेत्र ऋण: एमएसएमई को दिए गए सभी बैंक ऋण प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं।

ii. एमएसएमई इकाइयों की संपार्श्विक आवश्यकताएं: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को एमएसई क्षेत्र की इकाइयों को दिए जाने वाले 10 लाख रुपये तक के ऋण के मामले में संपार्श्विक प्रतिभूति स्वीकार नहीं करने का अधिदेश दिया गया है।

iii. ऋण निर्णयों के लिए समयसीमा: एमएसई ऋण-ग्राहियों में इकाइयों को 25 लाख रुपये तक के ऋण के लिए, बैंकों को सलाह दी गई है कि ऋण निर्णयों की समयसीमा 14 कार्य दिवसों से अधिक नहीं होगी।

*****